# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

## पीठासीन अधिकारी-हरि सिंह मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या-डिकी 218/2017
पंजीयन दिनांक 09.11.2017

मेघराज पिता नानालाल जाति ब्राहम्ण निवासी उत्थैनकला तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़। मृतक के बजाय-

1/1. राजेन्द्रकुमार पिता मेघराज जाति आमेटा निवासी उत्थैनकला तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़।

1/2. रामचन्द्र पिता मेघराज जाति आमेटा निवासी उत्थैनकला तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़।

1/3. राधाकिशन पिता मेघराज जाति आमेटा निवासी उत्थैनकला तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़।

1/4. मनोहरलाल पिता मेघराज जाति आमेटा निवासी उत्थैनकला तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़।

1/5. कलाबाई पत्नी मेघराज जाति आमेटा निवासी उत्थैनकला तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़।

**-अपीलांट्गण**

**बनाम**

(1). सुरेश पिता पृथ्वीराज जाति बलाई निवासी उत्थेनकला तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़।

(2). भेरूलाल पिता पेमा जाति बलाई निवासी उत्थेनकला तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़।

(3). रामेश्वरलाल पिता कालु जाति बलाई निवासी उत्थेनकला तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़।

(4). शंम्भुलाल पिता मांगीलाल जाति बलाई निवासी उत्थेनकला तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़।

(5). रतनलाल पिता सोहनलाल जाति बलाई निवासी उत्थेनकला तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़।

(6). शंम्भुलाल पिता नाथू जाति बलाई निवासी उत्थेनकला तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़।

(7). रामेश्वर पिता भूरा जाति बलाई निवासी उत्थेनकला तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़।

(8). भेरु पिता जमनालाल जाति बलाई निवासी उत्थेनकला तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रताप पिता हीरा जाति बलाई निवासी उत्थेनकला तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़।

(10). जगदीश पिता हजारी जाति बलाई निवासी उत्थेनकला तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़।

(11). गोपाल पिता हीरा जाति बलाई निवासी उत्थेनकला तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़।

(12). जगदीश पिता देवीलाल जाति बलाई निवासी उत्थेनकला तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़।

(13). रामलाल पिता भूरा जाति बलाई निवासी उत्थेनकला तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़।

(14). हिम्मतराम पिता हीरा जाति बलाई निवासी उत्थेनकला तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़।

(15). बख्तावर पिता दल्ला जाति बलाई निवासी उत्थेनकला तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़।

(16). भूमिधारी तहसीलदार बेगूँ, तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़।

**-रेस्पोडेन्टगण**

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवं आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बेगूँ प्रकरण संख्या 19/2014 निर्णय एवं आदेश दिनांक 30.10.2017

उपस्थित वक्त बहस-(1). सत्यनारायण ईनाणी-अधिवक्ता अपीलांट्गण
(2). पंकज टेलर-अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 15
(3). पूरणमल स्वर्णकार-राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 16

**निर्णय**

**दिनांक 16.11.2022**

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादीगण अपीलांट्गण ने एक वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा उत्थैनकलां तहसील बेगूँ की आराजी संख्या 490 मे से 5 बिस्वा भूमि वादीगण अपीलांट्गण के कब्जे मे है। दिनांक 12.11.1987 को वादीगण अपीलांट्गण के नाम से मिसल संख्या 60/1987 से राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 98 के तहत रेस्पोडेन्ट संख्या 16 तहसीलदार बेगूँ द्वारा कृषि उपयोग उपभोग हेतु वादीगण अपीलांट्गण को आवंटन किया गया था। आवंटन के समय रेस्पोडेन्ट संख्या 16 तहसीलदार बेगूँ द्वारा कब्जा सुपुर्द किया गया उस समय से उक्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

वादीगण अपीलांट्गण के कब्जे मे होकर उक्त बाड़े का वादीगण अपीलांट्गण बिना किसी रोक टोक के उपयोग उपभोग आवंटन शर्तो के अनुसार करते चले आ रहे है । वादपत्र मे उक्त बाड़े के पडौस अंकित किए जाकर निवेदन किया कि प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट्गण संख्या 1 से 15 का उक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि जो कि बाड़ा है, से कोई संबंध नहीं है फिर भी प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट्गण संख्या 1 से 15 उक्त बाड़े पर जबरन कब्जा करना चाहते है जिससे प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट्गण संख्या 1 से 15 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है। अन्त मे वादीगण अपीलांट्गण के उक्त वर्णित विवादित आराजी संख्या 490 के उपयोग उपभोग मे प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट्गण संख्या 1 से 15 किसी प्रकार की दखलंदाजी पैदा नही करे इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट्गण संख्या 1 से 15 को पाबंद किये जाने का निवेदन किया।

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधिवक्ता वादीगण अपीलांट्गण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 जाप्ता दीवानी व अधिवक्ता प्रतिवादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी प्रस्तुत किया गया व पत्रावली उक्त दोनो प्रार्थना पत्र के जवाब हेतु नियत की गई जिस पर अधिवक्ता प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट्गण संख्या 1 से 15 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 का जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे जिरह किये जाने का निवेदन किया जाना बताते हुए अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली उक्त दोनो प्रार्थना पत्र पर बहस हेतु नियत की गई। दिनांक 28.10.2017 को प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट्गण संख्या 1 से 15 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी पर उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। दिनांक 30.10.2017 को प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट्गण संख्या 1 से 15 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी स्वीकार किया जाकर वादीगण अपीलांट्गण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र निरस्त किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट्गण वादीगण ने प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

अपीलांट्गण वादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्गण प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट्गण प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलांट्गण वादीगण ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे अंकित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि वादीगण अपीलांट्गण की ओर से विवादित कृषि आराजीयात के संबंध मे स्थाई निषेधाज्ञा के वादपत्र को प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट्गण संख्या 1 से 15 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी को स्वीकार करते हुए वादीगण अपीलांट्गण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र को प्रकरण के तथ्यों को समझे बिना व रेकॉर्ड व तकनीकी एवं कानूनी विन्दुओं को समझे विना ही निरस्त किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी के अन्तर्गत वादपत्र मे वर्णित तथ्यों के आधार पर ही निर्णय पारित किया जाता है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट्गण के इस तथ्य को , कि आराजी संख्या 490 रकबा 5 बिस्वा वादीगण अपीलांट्गण को धारा 98 भू-राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत आवंट्ति हुई है जो कृषि कार्य मे उपयोग किये जाने वाले औजार व कृषि जिंस को रखने व मवेशी आदि बांधने के उपयोग हेतु दी गई है जो कृषि भूमि ही है, जिसके संबंध मे राजस्व न्यायालय ही सुनवाई कर सकता है। धारा 98 मे दिया गया उक्त वाड़ा कृषि भूमि ही है जिसमे खातेदारी अधिकार नहीं दिया जा सकता किंतु हर दृष्टि से कृषि भूमि की परिभाषा मे आती है एवं धारा 188 मे वाद पोषणीय नहीं है तो धारा 92-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत भूमि की रक्षा हेतु वह व्यक्ति वादपत्र प्रस्तुत कर सकता है जो खातेदार नहीं है। उक्त तकनिकी विन्दु को समझे बिना ही अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय व आदेश पारित किया गया है जो विधिपूर्वक नहीं होकर निरस्त योग्य है। अपनी बहस के समर्थन मे अधिवक्ता अपीलांट्गण वादीगण की ओर से न्यायिक दृष्टांत डी.एन.जे. 2015 पार्ट-1 पेज 242 प्रस्तुत कर अपीलांट्गण वादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्गण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 15 ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अपीलांट्गण वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

गया। सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधिवक्ता प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 15 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी प्रस्तुत किया गया जिस पर उभय पक्षकारान की बहस सुनी जाकर दिनांक 30.10.2017 को प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 15 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी स्वीकार किया जाकर वादीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र पोषणीय नहीं होने से वादपत्र निरस्त किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया है जो विधि सम्मत होने से अपीलांटगण वादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य नहीं है।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 16 ने अपनी बहस मे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश को विधि सम्मत होना बताकर अपीलांटगण वादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। न्यायालय हाजा की पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपीलांटगण वादीगण की ओर से प्रस्तुत स्थाई निषेधाज्ञा का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 15 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी प्रस्तुत किया गया जिस पर उभय पक्षकारान की बहस सुनी जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने यह मानते हुए कि अपीलांटगण वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र विवादित कृषि आराजीयात कृषि भूमि नहीं होने से व अपीलांटगण वादीगण उक्त विवादित कृषि आराजीयात के खातेदार नहीं होने से अपीलांटगण वादीगण को वादपत्र प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं होना मानते हुए पत्रावली मे बिना जवाबदावा लिए, बिना साक्ष्य सबूत के प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 15 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी स्वीकार किया जाकर अपीलांटगण वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र निरस्त किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया है जबकि विवादित कृषि आराजीयात अपीलांटगण वादीगण के पिता मेघराज को कृषि कार्य मे उपयोग उपभोग किये जाने वाले कृषि औजार रखने, मवेशी बांधने, चारा रखने, गोबर डालने हेतु बाड़े हेतु आवंटन

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

गई है जिसको राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 5 की उपधारा 24 में कृषि भूमि की श्रेणी मे रखा गया है व प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 16 ने अपीलांट्गण वादीगण के पिता को आंवटन आदेश पारित किया है, ऐसी स्थिति मे अपीलांट्गण वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के क्षेत्राधिकार का था फिर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने उक्त वादपत्र को अपने क्षेत्राधिकार का नहीं होना मानते हुए रेस्पोडेन्ट्गण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 15 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी स्वीकार किया जाकर वादपत्र वादीगण रेस्पोडेन्ट्गण क्षेत्राधिकार का नहीं होना मानते हुए निरस्त किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया है जो न्यायोचित नहीं होने से अपीलांट्गण वादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलांट्गण वादीगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बेगूँ प्रकरण संख्या 19/2014 निर्णय व आदेश दिनांक 30.10.2017 निरस्त किया जाकर पत्रावली अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वह रेस्पोडेन्ट्गण प्रतिवादीगण को जवाबदावा प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर जवाबदावा प्रस्तुत होने पर तनकीयात कायम की जाकर उभय पक्षकारान की साक्ष्य ली जाकर आदेश 20 नियम 5 जाप्ता दीवानी की पालना करते हुए गुणावगुण पर अजसरे नवनिर्णय पारित करें। उभय पक्षकारान अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे सुनवाई हेतु दिनांक 19.12.2022 को स्वयं उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 16.11.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय व आदेश की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटायी जावे।

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़(राज0)